



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227505
CG-DL-E-11062021-227505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2088]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2088]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2248(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465 (ई), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (नया एनएच-27) के सिलचर से हाफलोंग से लंका से दाबोका खण्ड के 0.00 किमी से 309.000 किमी तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम-3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (नया एनएच-27) के सिलचर से बालाचेरा सेक्शन के डिजाइन, कि.मी. 275.000 कि.मी. से 300.760 कि.मी. (मौजूदा 275.000 कि.मी से 306.540 कि.मी.) तक चार लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 25.394 कि.मी. और 3.660 किमी (जिनकी लंबाई 0.366 किमी है) की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से सारणी (1) के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर एतद्वारा शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग यंत्र (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे दिए गए विवरणानुसार वसूल एवं एकत्र किया जाने वाला शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) जिनके लिए निवल सड़क लंबाई निर्धारित की गई है, पर देय एवं भुगतान योग्य होगा :-

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	लंबाई(कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क देय है	दर जिस पर शुल्क देय है
असम राज्य काछार जिले में बालाचेरा गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (नया एनएच-27) के 277.3000 डिजाइन जरीब दूरी (चैनेज) कि.मी. पर	25.394 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़ कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार या अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में बदलाव करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नानुसार शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित संरचना की लम्बाई *(किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क देय है
असम राज्य काछार जिले में बालाचेरा गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (नया एनएच-27) के 277.3000 डिजाइन जरीब दूरी (चैनेज) कि.मी. पर	0.366 [^]	3.660	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार या अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

^ विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जरीब दूरी (चैनैज)		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी.)
	कि.मी. (से)	कि.मी. (तक)		
1.	282.0325	282.1114	पुल	0.079
2.	299.1145	299.3245	आरओबी	0.210
3.	300.3585	300.4355	पुल	0.077
			कुल	0.366

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और उपर्युक्त नियमावली के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जा सकेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
देय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दोतिहाई-	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा, परंतु शर्त यह है कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को एनएच शुल्क नियम, 2008 के उप नियम (1ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमावली के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 248.56 करोड़ रूपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/20-21/जीसी-सिल्वर-बालाचैरा]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2248(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O. 465(E) dated the 26th April, 2002 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 309.000 of Silchar to Haflong to Lanka to Daboka Section of National Highway No. 54 (New NH27) in the State of Assam to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 25.394 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.660 km (having length of 0.366 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane Silchar to Balachera Section from design kilometer 275.000 to kilometer 300.760 (existing km 275.000 to km 306.540) of National Highway number 54 (New NH 27) in the State of Assam and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design chainage km 277.300 of NH-54 (New NH-27) near Balachera village in Cachar district in the State of Assam	25.394 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design chainage km 277.300 of NH-54 (New NH-27) near Balachera village in Cachar district in the State of Assam	0.366 [^]	3.660	100% for four and more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1.	282.0325	282.1114	Bridge	0.079
2.	299.1145	299.3245	ROB	0.210
3.	300.3585	300.4355	Bridge	0.077
Total				0.366

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy-five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 248.56 crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/20-21/GC-Silchar-Balachera]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.